

योजना का नाम	मुख्यमंत्री असहाय पुर्नवास योजना
योजना के तहत देय लाभ	<ul style="list-style-type: none"> – ऐसे महिला एवं पुरुषों को अधिकतम एक बार 2000रू. तक की आर्थिक सहायता । – जो व्यक्ति पेंशन योजनान्तर्गत कवर नहीं उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित व राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदानित डे-केयर सेंटर वृद्धाश्रमों में प्रवेश की सुविधा । – ऐसे निराश्रित व्यक्ति, यदि वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता रखते हैं, तो उन्हें संबंधित योजना में पेंशन की स्वीकृति चिन्हित करने के एक माह के अंदर जारी की जाएगी ।
पात्रता की शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> – प्रार्थी जिले का निवासी हो । – बेसहारा, जिनकी देखभाल करने वाला न हो । – त्याग दिए गए माता-पिता – संतानहीन, दीनहीन, पूर्णतः निराश्रित
आवेदन कैसे करें	– जिला कलेक्टर को सादा आवेदन पत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला परिषद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है ।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें	– सम्बन्धित जिला अधिकारी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन पत्र का प्रारूप